रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1926] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20, 2014/भाद्र 29, 1936
No. 1926] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20, 2014/BHADRA 29, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

का. आ. 2448(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (अ) के अनुसरण में 4 जनवरी, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 24(अ), तारीख 3 जनवरी, 2014 में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है, अर्थात उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

"विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी, इलाहाबाद, सक्षम प्राधिकारी, पटना-मोतीहारी-बैतालपुर शाखा पाइपलाइन परियोजना एण्ड एक्जिस्टिंग बीकेपीएल पाइपलाइन का पुन-अनुमार्गण, पाइपलाइंस डिवीजन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डाकघर पीपल गांव, सूबेदारगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211 012" शब्दों के स्थान पर, श्री अवधेश सिंह, सक्षम प्राधिकारी, पटना-मोतीहारी-बैतालपुर शाखा पाइपलाइन परियोजना एण्ड एक्जिस्टिंग बीकेपीएल पाइपलाइन का पुन-अनुमार्गण, पाइपलाइंस डिवीजन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डाकघर पीपल गांव, सूबेदारगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश- 211 012" शब्द रखे जाएंगे।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 25011/13 /2014-ओ आर-1]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2014

S.O. 2448(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 24(E) dated 3rd January, 2014, published in the Gazette of India on 4th January, 2014 namely:

In the said notification, in the schedule, for the words "Special Land Acquisition Officer, Allahabad, Competent Authority, Patna-Motihari-Baitalpur Branch Pipeline Project and Re-routing of existing BKPL Pipeline, Pipelines Division, Indian Oil Corporation Ltd., P.O. Pipalgaon, Subedarganj, Allahabad, Uttar Pradesh-211 012" the words " Shri Awdhesh Singh, Competent Authority, Patna-Motihari-Baitalpur Branch Pipeline Project and Re-routing of existing BKPL Pipeline, Pipelines Division, Indian Oil Corporation Ltd., P.O. Pipalgaon, Subedarganj, Allahabad, Uttar Pradesh-211 012" shall be substituted.

This notification is applicable from the date of issue.

[F. No. 25011/13/2014-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.